

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश, गॉर्टन कैसल
शिमला - 171 003



Office of the Principal Accountant General (Audit)
Himachal Pradesh,
Gorton Castle, Shimla-171 003

संख्या: प्रशासन/ले०प०/ए/2026/204

दिनांक: 29-09-2026

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक संख्या प्रशासन/ले०प०/ए/2026/50, जिसे क्रमांक संख्या प्रशासन/ले०प०/ रिटर्न/ यौन उत्पीड़न/2014-25/2985-3000 दिनांक 17.03.2026 द्वारा प्रसारित किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस कार्यालय में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया गया है:

In partial modification of office order No. Admn/Audit/A/2026/20, circulated vide endst No. Admn./ Audit/ Return/ PoSH/ 2014-25/2985-3000 dated 17.03.20256, the Competent Authority has approved the reconstitution of the Internal Complaints Committee for Redressal of Complaints of Sexual Harassment of Working Women in this office as under:-

(i)	सुश्री अम्बिका रैना, IA&AS	उप महालेखाकार (लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह-II), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले०प०) हि०प्र०, शिमला	अध्यक्ष
(ii)	श्री मनोहर लाल ग्रेवाल	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले०प०) हि०प्र०, शिमला	सदस्य
(iii)	सुश्री सविता मरवाह	---तदेव---	सदस्य
(iv)	सुश्री उषा किरण	---तदेव---	सदस्य
(v)	सुश्री सुदेश ग्रैक	अध्यक्ष, नव निमोण फाउंडेशन पता: विक्रमदीप निवास, महिला पुलिस थाना के समीप, BCS, शिमला मोबाइल नंबर 94189 02202	सदस्य गैर सरकारी संगठन (NGO)

प्राधिकार: प्रधान महालेखाकार आदेश दिनांक 23.09.2026

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन),
Date: 29-09-2026
23:32:49

संख्या: प्रशासन/ले०प०/ रिटर्न/ यौन उत्पीड़न/2014-26/I/1625754/2026 दिनांक: 29-09-2026

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार
2. सभी समूह अधिकारी
3. सुश्री अम्बिका रैना, उप. महालेखाकार (ले०प०प्र०स०-II)-सह-अध्यक्ष
4. सुश्री सुदेश ग्रैक, विक्रमदीप निवास, महिला पुलिस थाना के समीप, BCS, शिमला
5. श्री मनोहर लाल ग्रेवाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी।
6. सुश्री सविता मरवाह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी।
7. सुश्री उषा किरण, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी।
8. कल्याण अधिकारी
9. मुख्यालय के सभी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी।
10. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (संपदा एवं क्रय) को इस आशय के साथ कि समिति के डिस्टले बोर्ड तैयार करने और उन्हें गॉर्टन कैसल बिल्डिंग और रेलवे बोर्ड बिल्डिंग के प्रमुख स्थानों पर लगवाने का प्रबंध करें।
11. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (आईटी) को इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. 'ए' क्रम फाइल।